रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 1996/श्रावण 2, 1918
No. 429] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 1996/SRAVANA 2, 1918

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1996

का. आ. 531(अ).—जबकि अर्चना एयरवेज का एक एल-410 विमान वी. टी.-ई.टी.सी. 11 जुलाई, 1996 को दिल्ली-शिमला-कुल्लू सेक्टर पर उड़ान का प्रचालन करते हुए भुंतर विमानपत्तन से लगभग 30 कि. मी. दक्षिण में हिमाचल प्रदेश के मण्डी जनपद में काण्डा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

और जबकि केन्द्र सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त दुर्घटना की परिस्थितियों की औपचारिक जांच करवाई जाए।

अब, वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त दुर्घटना की औपचारिक जांच की जाए।

केन्द्र सरकार, उक्त जांच करने के लिए न्यायालय के रूप में कार्य करने हेतु इंडियन एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक एयर मार्शल (सेवा निवृत्त) एस. एस. रामदास को नियुक्त करती है।

केन्द्र सरकार उक्त जांच में एसेसर के रूप में कार्य करने हेतु निम्नलिखित को भी नियुक्त करती है:—

(1) कैप्टन ए. के. मल्होत्रा, प्रचालन प्रबंधक, शॉर्ट हॉल प्रभाग, इंडियन एयरलाइंस और

(2) श्री एस. एन. आचार्य, इंजीनियरिंग निदेशक (सेवा निवृत्त), इंडियन एयरलाइंस, नई दिल्ली।

श्री एस. एन. द्विवेदी, वरिष्ठ उड़न-योग्यता अधिकारी, नागर विमानन महानिदेशालय, न्यायालय के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

न्यायालय को 31 अक्तूबर, 1996 तक अपनी जांच पूरी करने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय को विशेष रूप से मानसून और खराब मौसम की स्थिति के दौरान कुल्लू को/से सुरक्षित प्रचालनों को सुनिश्चित करने के लिए, यदि अपेक्षित हो, तो किसी अतिरिक्त सुरक्षित उपाय हेतु अन्तरिम सिफारिशों को देने का भी अनुरोध किया गया है।

न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

न्यायालय को सचिवालयीन सहायता नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

[संख्या एवी. 15013/2/96-एस. एस. वी.]

रंजन चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1996

S.O. 531 (E).—Whereas an Archana Airways L-410 aircraft VT-ETC while operating a flight on Delhi-Shimla-Kulu sector was involved in an accident on 11th July, 1996 near Village Kanda, District Mandi in Himachal Pradesh about 30 Kms south of Bhuntar airport;

And whereas it appears to Central Government that it is expedient to hold a formal investigation into the circumstances of the said accident;

Now, in exercise of the powers conferred by Rule 75 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby directs that a formal investigation of the said accident be held.

The Central Government is pleased to appoint Air Marshal (Retd.) S.S. Ramdas, former Chairman and Managing Director, Indian Airlines, to function as the Court to hold the said investigation.

The Central Government is also pleased to appoint :—

(i) Capt. A.K. Malhotra, Operations Manager, Short Haul Division, Indian Airlines, and

(ii) Shri S.N. Acharya, Director of Engineering (Retd.), Indian Airlines, New Delhi to act as assessors for the said investigation.

Shri S.N. Dwivedi, Senior Airworthiness Officer, Directorate General of Civil Aviation will function as Secretary to the Court.

The Court is requested to complete its investigation by 31st October, 1996. The Court is also requested to give interim recommendations for any additional safety measures, if required, for ensuring safety of operations to/from Kulu particularly during monsoon and bad weather conditions.

The Headquarters of the Court will be at New Delhi.

Secretarial assistance to the Court will be provided by the office of the Director General of Civil Aviation.

[No. AV. 15013/2/96–SSV]

RANJAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996